न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 70/2024 दायर दिनांकः 10.06.2024

उनवान

1\. सीताराम पि. बालाराम जाति दांगी नि. गरनखेडी तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1\. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड
2\. कमलेश पि. श्रीकिशन जाति दांगी नि. गरनखेडी तहसील पिडावा
3\. दिनेश पि. श्रीकिशन जाति दांगी नि. गरनखेडी तहसील पिडावा
4\. नानीबाई बेवा श्रीकिशन जाति दांगी नि. गरनखेडी तहसील पिडावा
5\. मानसिंह पि. श्रीकिशन जाति दांगी नि. गरनखेडी तहसील पिडावा
6\. सुनीता पि. श्रीकिशन जाति दांगी नि. गरनखेडी तहसील पिडावा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वकील प्रार्थी :– श्री नीलकमल त्रिवेदी
अप्राथी सं. 1 :– पैरोकार सरकार
वकील अप्राथी सं. 2 से 6 :– शहजादी गौरी

आदेश दिनांक : 20.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम गर्दनखेडी पटवार हल्का डोला तहसील पिडावा मे खाता संख्या 286 का खसरा नम्बर 215 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.3794 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.5808 हैक्टेयर। खाता संख्या 271 का खसरा [illegible]8/42 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, खसर नम्बर 10[illegible]/215 [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1050/222 रकबा 0.139[illegible] [illegible] 1051/283 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1052/305 रकबा [illegible]0126 हैक्टेयर कुल

1

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किता 5 कुल रकबा 0.9611 हैक्टेयर, खाता संख्या 292 का खसरा नम्बर 1063/42 रकबा 0.0379 हैक्टेयर है। उक्त आराजी प्रार्थी एवम अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 के शामलाती खाते में दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैर नम्बर 1 में वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3415 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1048/42 रकबा 0.3415 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1063/42 रकबा 0.0370 हैक्टेयर आराजी का राजस्व नक्शा बनाया गया है तब खसरा नम्बर 42 को उत्तर दिशा में कर दिया गया एवं खसरा नम्बर 1048/42 को दक्षिण दिशा में कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 1003/42 का नक्शा ही इन्द्राज नहीं किया गया जबकि खसरा नम्बर 1063/42 रकबा 0.0379 हैक्टेयर का राजस्व नक्शा उत्तर दिशा खसरा नम्बर 1048/42 रकबा 0.3415 हैक्टेयर है बीच में तथा खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3415 हैक्टेयर दक्षिण दिशा में होना चाहिये था इसी प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है इसलिए राजस्व नक्शा खसर नम्बर 1063/42 उत्तर दिशा खसरा नम्बर 1048/42 बीच में तथा खसरा नम्बर 42 दक्षिण दिशा में किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य सहमति से विधिक बंटवारा किया जाना उसमें पार्टी नं. 1 प्रार्थी तथा पार्टी नं. 2 अप्रार्थीगण थे। खसरा नम्बर 42 मे से 03 बिस्वा आराजी गैर मुमकिन चाह हेतु शामलाती मे रखी गई। जिसका खसरा नम्बर 1063/42 बना एवं पार्टी नं. 1 प्रार्थी को मूल नं. 42 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा दिया गया तथा खसरा नम्बर 1048/42 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा पार्टी नं. 2 अप्रार्थीगण के पिता को दिया गया था। इसके अनुसार गैर मुमकिन चाह उत्तर दिशा में पार्टी नं. 2 श्रीकिशन बीच में तथा पार्टी नं. 1 प्रार्थी दक्षिण दिशा में कब्जे में थे जिसके अनुसार ही राजस्व नक्शा इन्द्राज होना चाहिये था जो नहीं हुआ है। इसलिए अब वर्तमान रकबा जो है के अनुसार खसरा नम्बर 1063/42 उत्तर दिशा खसरा नम्बर 1048/42 बीच मे तथा खसरा नम्बर 42 दक्षिण दिशा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तरमीम करवाने के अधिकारी है। क्योंकि यह राजस्व नक्शे में सेकीकेशन मे तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर कब्जे एवं सहमति [illegible] अनुसार राजस्व नक्शा नही बनाया गया है। यह कि खसरा नम्बर 10[illegible]2 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में दर्ज है जो गैर मुमकिन चाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

2

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि है यह राजस्व नक्शा अनुसार उत्तर दिशा में है खसरा नम्बर 1048/42 अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 के कब्जे काश्त मे है जो हिस्सा बीच मे है तथा खसरा नम्बर 42 प्रार्थी के कब्जे काश्त मे है जो दक्षिण दिशा मे है इसलिए राजस्व ऑन लाईन नक्शे में खसरा नम्बर 1063/42 उत्तर दिशा इसके बाद बीच में खसरा नम्बर 1048/42 तथा दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 42 को किया जाना आवश्क हो गया है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से माननीय न्यायालय में उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गर्दनखेडी पटवार हल्का डोला तहसील पिडावा के खसरा नम्बर 1063/42 रकबा 0.0379 हैक्टेयर को उत्तर दिशा मे खसर नम्बर 1048/42 रकबा 0.3415 हैक्टेयर को बीच में अर्थात खसरा नम्बर 1063/42 के दक्षिण में तथा खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3415 हैक्टेयर को दक्षिण दिशा में अर्थात खसरा नम्बर 1048/42 के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 1 को राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/1309 दिनांक 06.11.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रिर्पोट पटवारी के अनुसार प्रार्थी सीताराम पुत्र बाला जाति दांगी निवासी गर्दनखेडी द्वारा ख.न. 42 एवं 1048/42 में कब्जानुसार तरमीम शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र हैं। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नामा. जिल्द में नामा. स. 732 द्वारा ख.नं. 42 का सहमति बटवारा हुआ हैं जिस अनुसार नामा. स. 732 में लाल स्याही से अंकन कर नवीन ख.न. 1063/42 रकबा 0.0379 (0–03 बिस्वा) अलग से बनाया गया हैं जो कि बटवारा प्रस्ताव 1 जिल्द पुश्त पर बने नजरी नक्शे से मिलान नही हो रहा हैं एवं नामा. परत पर विना प्रस्ताव प्रपत्र के नवीन खसरा लाल स्याही से अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा नियम विरूद्ध गलत किया गया है। महोदय उक्त जाँच के दौरान मौका देखा गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जो वर्तमान नक्शा तरमीम प्रार्थी द्वारा बताये कब्जा व नामा. स. 732 पुश्त में दर्ज नजरी नक्शा से भिन्न हैं जो इस प्रकार है।

3. अप्रार्थी सं. 2 लगायत 6 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 स्वीकार है। अतः अप्रार्थी नं. 2 लगायत 6 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शा शुद्ध किये जाने मे अप्रार्थी नं. 2 लगायत 6 को कोई आपत्ति नहीं हैं।

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम गरदनखेडी की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 292, 286, 271 की प्रमाणित नकल एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 20.05.2024, सीताराम का आधारकार्ड (987339897622) छायाप्रति पेश की।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का डोला की रिपोर्ट, भू.अभिलेख वृत्त गैलानी की रिपोर्ट, ग्राम गरदनखेडी के खाता सं. 286 की जमाबंदी सं. 2072–75 की छायाप्रति, ग्राम गरदनखेडी का नामा.सं. 732 दिनांक 19.11.2012 की प्रमाणित प्रति पेश की।

6. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गरदनखेडी पटवार हल्का डोला की शामलाती कृषि आराजी ख.नं. 42 रकबा 2–17 बीघा का सहखातेदारो के मध्य न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल ने आपसी सहमति से खाता विभाजन हुआ था। न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल का सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 31.10.2012 के अनुसार ख.नं. 42 रकबा 1–07 बीघा उत्तर दिशा का हिस्सा श्री किशन पि. बाला एवं दक्षिण दिशा का हिस्सा रकबा [illegible]07 बीघा प्रार्थी सीताराम के खाते एवं रकबा 0–[illegible] बीघा किस्म [illegible] प्रार्थी सीताराम व अन्य सहखातेदार श्रीकिशन व [illegible] खाते में दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

गया। न्यायालय के सहमति बंटवारा आदेश की पालना में नामा.सं. 732 दिनांक 19.11.2012 दर्ज किया गया। नामा.सं. 732 मुताबिक बंटवारा आदेश सही दर्ज किया गया और नामान्तरण पंजिका की पुश्त पर अंकित खसरा नक्शा भी मुताबिक सहमति बंटवारा आदेश था लेकिन नामा.सं. 732 का राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अमल दरामद करते समय राजस्व कार्मिको द्वारा गंभीर लापरवाही करते हुए नामान्तरण पंलिका की पुश्त पर बने ख.नं. 42 के खसरा नक्शे के विपरीत तरमीम की गई। पुश्त अनुसार प्रार्थी का हिस्सा दक्षिण दिशा में एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा उत्तर दिशा में होना चाहिए था लेकिन राजस्व कार्मिको द्वारा गलत तरमीम कर प्रार्थी का हिस्सा उत्तर दिशा में और अप्रार्थीगण का हिस्सा दक्षिण दिशा में कर दिया गया है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर नामान्तरण पंजिका की पुश्त पर बने खसरा नक्शे अनुसार ही काबिज काश्त है। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा बंटवारा आदेश के विपरीत बिना किसी प्राधिकार के राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी को दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जावे।

7. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के अनुतोष पर सहमति व्यक्त की और मूल ख.नं. 42 की तरमीम में नामा.सं. 732 के अमल दरामद के दौरान त्रुटी होना स्वीकार किया। साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न कर नक्शानुसार शुद्धि किया जाना उचित बताया।

8. अप्रार्थी सं. 2 से 6 ने बहस के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा नक्शे में की गई तरमीम को गलत बताते हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर सहमति व्यक्त की।

9. अभिभाषक प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गरदखेडी के नामा.सं. 732 दिनांक 19.11.2012 के कालम सं. 2 से 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गरदनखेडी का खाता सं. 236 का ख.नं. 42 रकबा ...-17 बीघा प्रार्थी सीताराम, श्रीकिशन पिस. बाला हि. 1/3, मनोहर... पि. प्रभूलाल हि. 1/3 व कालू पि. रामलाल हि. 1/3 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 14 के अनुसार न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल के सहमति बंटवारा आदेश कमांक 4506/राजस्व/12 दिनांक 31.10.2012 से मूल ख.नं. 42 रकबा 2-17 बीघा में से रकबा 1-07 बीघा प्रार्थी सीताराम के खाते, रकबा 1-07 बीघा अप्रार्थीगण के पिता श्रीकिशन के खाते एवं शेष 0-03 बीघा शामलाती रखने के आदेश दिये गये थे। नामान्तरण पंजिका के पुश्त भाग पर बने खसरा नक्शानुसार मूल ख.नं. 42 का दक्षिण भाग प्रार्थी सीताराम को एवं उत्तरी भाग अप्रार्थीगण के पिता श्रीकिशन के खाते दर्ज कर नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये थे। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम गरदनखेडी की वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नक्शा दिनांक 20.05.2024 के अनुसार प्रार्थी सीताराम का हिस्सा हाल ख.नं. 42 उत्तर की ओर एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा हाल ख.नं. 1048/42 दक्षिण की ओर दर्ज है जो कि नामा.सं. 732 के पुश्त पर बने खसरा नक्शे से विपरीत है जिसे अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2024 में स्वीकार किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर नामान्तरण पंजिका की पुश्त पर बने खसरा नक्शा अनुसार ही काबिज है। अतः साबित है कि राजस्व नक्शे में सहमति बंटवारा आदेश के विपरीत तरमीम की गई है।

10. अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि राजस्व नक्शे में यह त्रुटी राजस्व कार्मिको द्वारा नामा.सं. 732 का अमल दरामद करते समय हुई है और राजस्व कार्मिको द्वारा लापरवाही पूर्वक प्रार्थी को सुने बिना की गई गलती की सजा प्रार्थी व अप्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। पेरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा भी स्वीकार किया है कि बंटवारा प्रस्ताव/जिल्द पुश्त पर बने नजरी नक्शे से वर्तमान आनलाईन नक्शे का मिलान नहीं हो रहा है। वर्तमान नक्शा तरमीम प्रार्थी व अप्रार्थीण के मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय राजस्व ,कार्मिको द्वारा नियम विरूद्ध गलत अंकन किया गया जो दुरूस्ति योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

11. हाल शामलाती ख.नं. 10[illegible] रकबा [illegible] प्रथम का नामान्तरण पंजिका की पुश्त [illegible] के जवाब में ख.नं. 1063/42 की मौका कब्जा की स्थिति [illegible] आनलाईन नक्शे की

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

स्थिति में कोई भिन्नता अंकित नहीं की गई है। अतः ख.नं. 1063/42 रकबा 0.0379 है. की नक्शे में तरमीम में राजस्व कार्मिको द्वारा त्रुटी किया जाना साबित नहीं है।

12. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम गरदखेडी के मूल ख.नं. 42 रकबा 2–17 बीघा के नायब तहसीलदार सुनेल के सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 31.10.2012 की पालना में खोल गये नामा.सं. 732 दिनांक 19.11.2012 की राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अमल दरामद करते समय खसरा नम्बर 42 एवं ख.नं. 1048/42 की दिशा/तरमीम त्रुटीपूर्ण की गई जिसे धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes [illegible]ndaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

13. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम गरदखेडी के खसरा नम्बर 42, 1063/42 एवं ख.नं. 1048/42 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम गरदखेडी के खसरा नम्बर 42 एवं ख.नं. 1048/42 के राजस्व नक्शे में नामा.सं. 732 दिनांक 19.11.2012 की पुश्त पर बने नजरी नक्शानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

20/01/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner